



व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर कैम्प जबलपुर

नंव - 1428-2-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

हीरालाल प्रधान (अनु.ज.जाति) उमे 36 वर्ष

पितादादूलाल प्रधान

निवासी 308 चिमनी प्लाट, गुलजार होटल के
पास, मदनमहल जबलपुर म0ग्र0

विस्तृ

गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

- 1- रविंद्र श्रीवास पिता श्री मोहनलाल श्रीवास
निवासी म.न. 2135 हाउबाग गोरखपुर, जबलपुर
- 2- श्री राम किशोर सेन पिता श्री रम्मू लाल सेन,
निवासी 393 पुरानी बस्ती ब्वारीघाट
ब्वारीघाट वार्ड जबलपुर म0ग्र0
- 3- म0ग्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

मेरी अपीली दस्तावेज़
01/11/2016
मेरी अपीली दस्तावेज़
28/4/16

सिविजन अंतर्गत धारा 50 म.ग. भू.ग. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 37/अ-21/2015-16 में पारित
आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यक्ति होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

दिवीजन के तथ्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्थ मण्डल, मध्यप्रदेश, बालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1428-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चात्यार्थ एवं अभिभावकों आदि के दस्तावेज
16-5-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विलुप्त म0प्र0 भू-राजस्थ संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वन अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक हीरालाल प्रधान पिता दाढ़लाल प्रधान द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की घाम बरई प.ह.नं. 49 नया 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 11/2, 133/2 रक्षा क्रमांक: 0.02 एवं 0.25 हैक्टर कुल रक्षा 0.27 हैक्टर भूमि अबावेदक गैर/आदिम जनजाति के सदस्य श्री यविद्व श्रीवासा पिता श्री मोहनलाल श्रीवासा एवं श्री दामकिशोर सेन पिता श्री दमूलाल सेन को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विविवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से</p>	

१२

✓

प्रकरण क्रमांक निग० 1428-एक/16 हीरालाल प्रधान विरुद्ध रविंद्र श्रीवास्त आदि

संखान तथा दिनांक	कार्यालयी तथा आदेश	प्रश्नार्थी एवं अधिकारीको आदि के स्वतान्त्र्य
	<p>कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष हीम्ब सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण तथा आवेदक को पारिवारिक कारणों से पैसों की आवश्यकता होने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का नियाकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का नियाकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत हीम्ब सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में जुलाई माह की तिथि नियत करदी है जो व्यायोचित नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में हस व्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का नियाकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इकट्ठार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इकट्ठार पर कोई आक्षेप नहीं आया। प्रधानाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि कर करना नहीं चाहते। भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम ग्राम टिकटिया में 2.65 हेक्टर भूमि शेष बचती है। अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नरई प.ह.नं. 49 नया 64 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर</p>	

Re

(M)

XXXIX(a)BR(H)-11

दाजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्लालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1428-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के इस्ताबाद
	<p>स्थित भूमि खसदा नं. 11/2, 133/2 रक्खा कमाई: 0.02 एवं 0.25 हैक्टर कुल रक्खा 0.27 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। <p>निगरानी तद्दनुसार निश्चित की जाती है। पक्षकार सुचित हों।</p> <p> संदर्भ</p>	